दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

{विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी}

मंगलवार, 28 अप्रैल, 1998/बैशाख 08, 1920 {शक}

संख्या : 391

सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित पुलिस उपायुक्त, उत्तर-पूर्व जिला, दिल्ली से निम्नलिखित संसूचना प्राप्त हुई है :-

> "मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि घोंडा विधान सभा क्षेत्र के विधायक, श्री भीष्म को पुलिस स्टेशन, शाहदरा में दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत डी·ओ·नंबर-12-ए दिनांक 21·4·1998 द्वारा गिरफ्तार किया गया । पुलिस स्टेशन सीलमपुर क्षेत्र के अंतर्गत घोंडा चौक पर डेमोलेशन का कार्यक्रम था, श्री भीष्म शर्मा अपने 27 समर्थकों के साथ चौक पर आ गये एवं दिल्ली पुलिस एवं सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे तथा तोड़-फोड़ {डेमोलेशन} कार्यक्रम को रोकना चाहते थे । तत्पश्चात्, उन्हें 11·45 बजे पूर्वाह्न गिरफ्तार किया गया एवं आज डीडी नंबर-15-ए दिनांक 21·4·98 के द्वारा अपराह्न 4·05 बजे रिहा कर दिया गया । तोड़-फोड़ {डेमोलेशन} कार्यक्रम के सुचारू रूप से चलाने के लिये यह गिरफ्तारी आवश्यक थी ।"

पी·एन·गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative and other matters)

Tuesday, 28th April, 1998/Baishakha 08, 1920 (Saka)

No. 391

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following information addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from Dy. Commissioner of Police, North-East District, Delhi :-

> "I have the honour to inform you that Shri Bhisham, M.L.A., Ghonda Constituency, Delhi was detained vide D.O. No. 12-A dated 21.4.98 u/s 65 D.P. Act P.S. Shahdara. A demolition programme was being carried out at Ghonda Chowk in the area of P.S. Seelampur, Shri Bhisham Sharma alongwith 27 workers came at the Chowk and shouted slogans against Delhi Police and Govt. and wanted to prevent the demolition programme. Therefore, he was detained at 11.45 A.M. and released at 4.05 PM today vide D.D. No. 15-A dated 21.4.98. The detention was necessary for smooth conduct of demolition programme.

P.N. GUPTA
SECRETARY